राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,१९८२
<u>बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते.</u>

महाराष्ट्र शासन,
वित्त विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक:- गवियो १०.०१/प्र.क्र.१३/२००१/शा.हमी,
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. दिनांक:- १६ जुलै, २००१.

संदर्भ:- (१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक डीओआय-२०८१/४७०१/एडीएम-५, दिनांक २६ एप्रिल, १९८२.
(२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: गवियो -१०८८/प्र.क्र.९/८८/कोषागारे-५, दिनांक १ सप्टेंबर, १९८८.
(३)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: गवियो -१०८९/प्र.क्र.६६४/८९/विमा, दिनांक ८ जानेवारी, १९९०.
(४)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: गवियो -१०८९/प्र.क्र.६६४/८९/विमा, दिनांक १४ फेब्रुवारी, १९९०.
(५)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: गवियो -१०८९/प्र.क्र.६६४/८९/विमा, दिनांक ५ नोव्हेंबर,१९९०.
(६)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: गवियो -१०९१/प्र.क्र.४५२/९१/लेपवि, दिनांक १० ऑगस्ट, १९९२.
(७)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: गवियो -१०९५/प्र.क्र.२६/९५/शा.हमी, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५.
(८)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: गवियो -१०९८/प्र.क्र.१२/९८/शा.हमी, दिनांक ३ डिसेंबर, १९९८.

<u>शासन निर्णय:-</u> शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: गवियो-१०९८/प्र.क्र.१२/९८/शासन हमी, दि.३/१२/१९९८ अन्वये दिनांक १ जानेवारी,१९९९ नंतर आणि २००१ या वर्षापर्यंत सदस्यत्व संपुष्टात येणा-या कर्मचा-यांना देय होणा-या बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी तक्ते निर्गमित करण्यात आले होते. तथापि, दि.०१/०१/२००१ पासून व्याज दरात केंद्र शासनाने सुधारणा केल्यामुळे दिनांक ३/१२/१९९८ चा शासन निर्णयासोबतच्या तक्त्यातील क्रमांक "क" तक्ता सुधारित करण्यात येत असून सन २००१ या वर्षापर्यंत सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणा-या बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी सुधारित परिगणितीय तक्ता तयार करण्यात आला असून तो सोबत जोडला आहे. दिनांक १ जानेवारी,२००१ व त्यानंतरच्या कालावधीत योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणा-या कर्मचा-यास हया सुधारित परिगणितीय तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, प्रति युनिटकरिता बचत निधीची संचित रक्कम प्रदान करण्यात यावी.

२. सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी दि.१ जानेवारी,२००१ नंतर राजीनामा, सेवानिवृत्ती किंवा सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर काही कारणाने गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणा-या कर्मचा-यांना / कर्मचा-यांच्या वारसांना सोबतच्या तक्त्यानुसार त्यांना देय होणारी बचत निधीची रक्कम तसेच अतिरिक्त रक्कम प्रदान करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

र. शे. कामत
शासनाचे अवर सचिव, वित्त विभाग

एच-351(10,000-9-7-2001)1.

प्रति,

राज्यपालांचे सचिव,
मुख्य मंत्र्यांचे सचिव,
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक,
मंत्रालयाचे सर्व विभाग,
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई,
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर,
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई,
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, मुंबई,
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,
सर्व विभागीय आयुक्त,
मंत्रालयीन विभागाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख,
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई,
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई,
* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,
* प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,
विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (५ प्रती),
उप संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक,
मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई,
उप मुख्य लेखा परीक्षक, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती विभाग,
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी / उप कोषागार अधिकारी,
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली,
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई,(५०० प्रती)
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने,
निवड नस्ती, कार्यासन शा.हमी, वित्त विभाग,

---

* पत्राने

एम-351(10,000-9-7-2001)13.

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः गवियो-१०.०१/प्र.क्र.१३/२००१/शासन हमी, दिनांक १६ जुलै, २००१ चे जोडपत्र

मृत्यू, सेवानिवृत्ती, राजीनामा इत्यादी कारणामुळे योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणा-या महिन्याच्या अखेरीपर्यंतच्या प्रत्येक महिन्याला जानेवारी,१९९० पासून रु.१५ प्रमाणे अंशदान करणा-या सदस्यांच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह एकूण देय होणारी रक्कम दर्शविणारा तक्ता.

(क) २००१ या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणारी रक्कम

| सदस्य होण्याचा दिनांक | जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च | एप्रिल | मे | जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर | नोव्हेंबर | डिसेंबर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मे ,1982 | 6567 | 6637 | 6707 | 6779 | 6851 | 6924 | 6997 | 7071 | 7146 | 7221 | 7297 | 7374 |
| 1983 | 5903 | 5968 | 6032 | 6098 | 6163 | 6230 | 6297 | 6365 | 6433 | 6502 | 6572 | 6642 |
| 1984 | 5314 | 5373 | 5432 | 5492 | 5553 | 5614 | 5675 | 5737 | 5800 | 5863 | 5927 | 5991 |
| 1985 | 4766 | 4820 | 4874 | 4929 | 4984 | 5040 | 5096 | 5153 | 5210 | 5268 | 5326 | 5385 |
| 1986 | 4273 | 4323 | 4372 | 4423 | 4473 | 4524 | 4576 | 4628 | 4681 | 4734 | 4787 | 4841 |
| 1987 | 3832 | 3878 | 3923 | 3970 | 4016 | 4063 | 4111 | 4158 | 4207 | 4255 | 4305 | 4354 |
| 1988 | 3440 | 3481 | 3524 | 3566 | 3609 | 3652 | 3696 | 3740 | 3784 | 3829 | 3875 | 3920 |
| 1989 | 3084 | 3123 | 3161 | 3201 | 3240 | 3280 | 3320 | 3361 | 3402 | 3444 | 3485 | 3527 |
| जानेवारी, 1990 | 2869 | 2906 | 2943 | 2980 | 3017 | 3055 | 3094 | 3132 | 3171 | 3210 | 3250 | 3290 |
| 1991 | 2431 | 2464 | 2496 | 2530 | 2563 | 2597 | 2631 | 2665 | 2700 | 2735 | 2771 | 2806 |
| 1992 | 2042 | 2071 | 2100 | 2130 | 2160 | 2190 | 2220 | 2251 | 2282 | 2313 | 2344 | 2376 |
| 1993 | 1696 | 1722 | 1748 | 1774 | 1801 | 1828 | 1855 | 1882 | 1910 | 1938 | 1966 | 1994 |
| 1994 | 1389 | 1412 | 1435 | 1459 | 1482 | 1506 | 1531 | 1555 | 1580 | 1604 | 1629 | 1655 |
| 1995 | 1116 | 1136 | 1157 | 1178 | 1199 | 1221 | 1242 | 1264 | 1286 | 1308 | 1331 | 1353 |
| 1996 | 873 | 892 | 910 | 929 | 948 | 967 | 986 | 1006 | 1025 | 1045 | 1065 | 1085 |
| 1997 | 658 | 674 | 691 | 707 | 724 | 741 | 759 | 776 | 794 | 811 | 829 | 847 |
| 1998 | 466 | 481 | 496 | 511 | 526 | 541 | 557 | 572 | 588 | 604 | 620 | 636 |
| 1999 | 296 | 309 | 322 | 336 | 349 | 363 | 377 | 391 | 405 | 419 | 433 | 448 |
| 2000 | 145 | 157 | 169 | 181 | 193 | 205 | 217 | 230 | 242 | 255 | 268 | 281 |
| 2001 | 11 | 21 | 32 | 43 | 53 | 64 | 76 | 87 | 98 | 109 | 121 | 132 |

एच-351(10,000-9-7-2001)2.